

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

दिनांक: 16 / 06 / 2016

सन्दर्भ सं० सी. एस. जे. एम. वि. वि./SEC/106/2016

सत्यापन की प्रक्रिया

- 1- तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय के नगद भुगतान पटल पर सत्यापन शुल्क जमा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ।
- 2- विश्वविद्यालय के खाता संख्या 349502050000603 **RTGS IFS CODE UBIN 0534951** में संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा शुल्क जमा किया जायेगा तथा संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जमा रसीद, अभ्यर्थियों के समस्त संगत अंकपत्र संलग्न करते हुये विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा ।
- 3- सत्यापन शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी 300/- की दर से निर्धारित है । एक से अधिक पाठ्यक्रम के सत्यापन की स्थिति में भी एक ही शुल्क की व्यवस्था लागू है ।
- 4- अभ्यर्थियों द्वारा अपने विभाग से प्रेषित सत्यापन पत्र के संदर्भ के साथ सत्यापन कराने हेतु विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा रहा है । ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से शुल्क जमा कर प्रपत्र सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय के निर्धारित पटल पर जमा किये जा रहे हैं । शुल्क सत्यापन में अभ्यर्थी का नाम न होने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों का सत्यापन संभव नहीं हो पा रहा है । अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि स्वयं के नाम से ही सत्यापन शुल्क विश्वविद्यालय खाते में जमा करायें, जिससे सत्यापन कार्य संपन्न कर गोपनीय आख्या उनके नियोक्ता को प्रेषित की जा सके ।
- 5- यद्यपि विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित सत्यापन के प्रकरणों को निस्तारित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, किंतु यदि किसी अभ्यर्थी के सत्यापन उनके विभाग को प्राप्त नहीं हुये हैं तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष शुल्क एवं समस्त अंकपत्रों सहित अनुस्मारक प्रेषित करेंगे, जिसके पश्चात विश्वविद्यालय से सम्यक जाँचोपरांत सत्यापन निर्गत किये जायेंगे । विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्व प्रेषित शुल्क का वितरण ही सत्यापन हेतु पर्याप्त होगा ।
- 6- किसी भी अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन के संबंध में कार्यवाही हेतु अपने विभाग में संपर्क किया जाय ।
- 7- सत्यापन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की जानकारी विश्वविद्यालय की website 'kanpur university.org' के home page पर बने लिंक 'Education Verification Dispatch Detail' पर प्राप्त की जा सकती है ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर-208024

Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं० सी. एस. जे. एम. वि./SEC/106/2016

दिनांक: 16/06/2016

8- विश्वविद्यालय में सत्यापन हेतु विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के अनुरोध पत्र की प्राप्ति के 30 दिन तक सत्यापन प्रेषित किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय website पर उपलब्ध न होने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने संस्थाप्रमुख के माध्यम से विश्वविद्यालय को अवगत करायेंगे, जिससे प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही की जा सके ।

9- ऐसे बहुत से अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में सत्यापन हेतु संपर्क स्थापित कर रहे हैं, जिनके विभाग द्वारा शुल्क एवं संगत अंकपत्रों के बिना ही सत्यापन हेतु अनुरोध प्रेषित किया गया है । ऐसे समस्त प्रकरणों में संबधित विभागों को शुल्क एवं संगत अंकपत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध प्रेषित किया गया है । ऐसे समस्त अभ्यर्थी अपने विभाग में संपर्क कर शुल्क एवं संगत अंकपत्रों के साथ विभागीय अनुरोध पत्र प्रेषित करायें, जिससे उनके सत्यापन की कार्यवाही की जा सके ।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:

✓1- सिस्टम मैनेजर, संगणक केन्द्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रक्रिया विवरण को विश्वविद्यालय website पर upload करने की कार्यवाही करें।

2- निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

3- जन संपर्क कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव
(सत्यापन)